राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3392/2019

राजेन्द्र प्रसाद माथुर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बीकानेर डिवीजन, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.10.2019
आदेश की दिनांक : 07.07.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 08.09.2017 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को कनिष्ठ सहायक (एलडीसी) के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जाए और सभी पारिणामिक लाभ प्रदान किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति सहायक के पद पर हुई थी और उसने दिनांक 01.01.1986 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 05.06.1991 के द्वारा नियमित नियुक्ति प्रदान की गई। अपीलार्थी ने वर्ष 1981 में इलाहबाद से हिंदी साहित्य सम्मलेन से प्रथमा योग्यता अर्जित की, जो अनुलग्नक–3 से प्रकट है, जो योग्यता अधिसूचना दिनांक 13.05.1974 के द्वारा उच्च माध्यमिक के समकक्ष मानी गई। आदेश दिनांक 28.06.1985 के द्वारा मंत्रालयिक सेवा नियमों में संशोधन किया गया, जिसमें प्रथमा योग्यता को नियुक्ति में अयोग्य माना गया और

समकक्ष से हटाया गया। परिपत्र दिनांक 05.09.1997 के द्वारा जिन लोगों ने वर्ष 1985 से पूर्व प्रथमा योग्यता अर्जित की है, उनको पदोन्नति में विचार करने योग्य माना गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी को सेवा में अस्थाई आधार पर नियुक्त किया गया था और बाद में उसे नियमित नियुक्ति वर्ष 1991 में दी गई। जबकि अपीलार्थी द्वारा प्रथमा योग्यता वर्ष 1985 से पूर्व अर्जित की गई थी और इस प्रकार वर्ष 1985 से पूर्व प्रथमा योग्यता उच्च माध्यमिक के समकक्ष थी। ग्रुप डी से एलडीसी के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक के नाम पर विचार किया गया, परंतु अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किया गया। जबकि अपीलार्थी उच्च माध्यमिक योग्यता के समकक्ष प्रथमा योग्यता रखता था। अपीलार्थी ने उक्त संबंध में कई अभ्यावेदन दिए, परंतु उन पर कोई विचार नहीं किया गया। उनका कथन है कि एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 14719/2012 एवं वृहद् पीठ शंकर लाल बनाम राजस्थान विद्युत मण्डल व अन्य (1999) वोल्यूम 1 डब्ल्यूएलसी पेज 1 में भी माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त मामले को एलडीसी के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किए जाने के निर्देश दिए हैं, परंतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जो विधि विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपील स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 08.09.2017 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को कनिष्ठ सहायक (एलडीसी) के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जाए और सभी पारिणामिक लाभ प्रदान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि आदेश दिनांक 01.03.1986 को अपीलार्थी कार्य प्रभारी संवर्ग में बेलदार के पद पर नियुक्त हुआ था तथा आदेश दिनांक 05.06.1991 द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर समायोजन नियुक्त हुआ। राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कनिष्ठ लिपिक के पद पर तत्समय योग्य एवं पात्र कर्मचारियों को ही पदोन्नति प्रदान की गई थी। राज्य सरकार द्वारा यह जारी किया गया था कि वर्ष 1984–85 की रिक्तियों के विरूद्ध प्रथमा परीक्षा उत्तीर्ण कर्मचारियों को पदोन्नति का पात्र माना जावेगा, किंतु अपीलार्थी उक्त तिथि को राजकीय सेवा में ही नहीं था। अतः वह पदोन्नति हेतु निर्धारित अर्हता एवं चतुर्थ

श्रेणी के पद पर 5 वर्ष का अनुभव नहीं रखता था, जिसके कारण अपीलार्थी पदोन्नति पात्र नहीं माना गया। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 01.01.1986 को हुई थी। अपीलार्थी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी है। अधिकरण ने अपील संख्या 302/2004 रतन लाल रैगर बनाम राज्य में दिनांक 04.07.2006 को आदेश पारित करते हुए प्रार्थी के पक्ष में आदेश दिया। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने रतन लाल पुरी बनाम राज्य एस.बी. सिविल रिट याचिका सख्या 1940/2000, 1631/2000 घनश्याम सैनी बनाम राज्य, 1330/2000 गिरिशचंद बनाम राज्य में आदेश पारित किए और वर्ष 1985 के पश्चात् प्रथमा योग्यता जिन्होंने अर्जित की, उसे राजस्थान में सैकण्डरी के समकक्ष नहीं मानी तथा वर्ष 1985 से पूर्व जिन्होंने उत्तीर्ण की है वे कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अपीलार्थी ने वर्ष 1981 में उक्त योग्यता अर्जित की, फिर भी उसे कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति से वंचित किया गया, जो समानता के अधिकारों का उल्लंघन है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति सहायक के पद पर हुई थी और दिनांक 01.01.1986 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 05.06.1991 के द्वारा नियमित नियुक्ति प्रदान की गई। अपीलार्थी ने वर्ष 1981 में इलाहबाद से हिंदी साहित्य सम्मलेन से प्रथमा योग्यता अर्जित की, अधिसूचना दिनांक 13.05.1974 के द्वारा उच्च माध्यमिक के समकक्ष मानी गई। परिपत्र दिनांक 05.09.1997 के द्वारा जिन लोगों ने वर्ष 1985 से पूर्व प्रथमा योग्यता अर्जित की है, उनको पदोन्नति में विचार करने योग्य माना गया। ग्रुप डी से एलडीसी के पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक के नाम पर विचार किया जाना एवं अपीलार्थी के नाम पर एलडीसी के पद पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किए जाने का प्रश्न है, हम अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 1985 से पूर्व प्रथमा योग्यता अर्जित की गई, परंतु यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 14719/2012 राजेन्द्र

प्रसाद माथुर बनाम राज्य व अन्य में जारी आदेश दिनांक 14.03.2014 में निम्नलिखित आदेश जारी किया गया है :–

> *"In the light of Larger Bench judgment of this court in Shankar Lal Verma and 13 Ors. Versus Rajasthan State Electricity Board 1999 (1) WLC (Raj.) 1, no relief possibly can be granted except observing that as per the aforesaid Larger Bench judgment if any vancancy occurs prior to the date of appointment made in the year 1985, the case of the petitioner may be considered for promotion on the post of LDC."*

अपीलार्थी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिनांक 05.06.1991 से दी गई है जबकि नियुक्ति वर्ष 1985 से पूर्व रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति दिए जाने का माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया गया है। अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर वर्ष 1991 में हुई है और उससे पूर्व अपीलार्थी दिनांक 01.03.1986 को कार्यप्रभारी संवर्ग में बेलदार के पद पर कार्यरत था। इस प्रकार अपीलार्थी उक्तानुसार एलडीसी के पद पर पदोन्नति हेतु योग्य पाया जाना प्रकट नहीं होता है। अतः अपीलार्थी की अपील अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य